राजस्थान सरकार
बाल अधिकारिता विभाग

20 / 198, कावेरी पथ, सैक्टर 02, मानसरोवर, जयपुर
ई–मेल–dysp.dcr@rajasthan.gov.in फोन नं. 0141–2399335, 2399336

क्रमांक: F44(5)(3)/DCR/CHILD MARRIAGE/CORRESPONDENCE FILE/2022-00135/ 82650 दिनांक: 09/12/2024

आयुक्त,
निदेशालय महिला अधिकारिता
जयपुर।

विषय :– 2nd National Conference of Chief Secretaries के Actionable Points हेतु अपडेटेड ATR के संबंध में।

प्रसंग :– महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार के अर्द्धशासकीय पत्र दिनांक 06.12.2024 ।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं प्रासंगिक पत्र के संबंध में निवेदन है कि राज्य में राजस्थान बाल विवाह प्रतिषेध नियम 2007 लागू कर प्रत्येक जिला / उपखण्ड / तहसील स्तर पर संबंधित विभिन्न प्राधिकरणों / विभागों के अधिकारियों को बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी (सी.एम.पी.ओ.) के रूप में नियुक्त कर अधिनियम के तहत् शक्तियों एवं कृत्यों के निष्पादन के लिए अधिकृत किये गये है। राज्य सरकार द्वारा नियुक्त बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारियों (सी.एम.पी.ओ.) का विवरण निम्नानुसार है:–

- उपखण्ड मजिस्ट्रेट– उप खण्ड स्तर।
- तहसीलदार– तहसील स्तर।
- उपनिदेशक / सहायक निदेशक, महिला अधिकारिता विभाग– जिला स्तर।
- उपनिदेशक / सहायक निदेशक, समेकित बाल विकास सेवायें– जिला स्तर।
- संरक्षण अधिकारी, महिला अधिकारिता विभाग– जिला स्तर।
- सहायक निदेशक, जिला बाल संरक्षण इकाई, बाल अधिकारिता विभाग– जिला स्तर।
- बाल विकास परियोजना अधिकारी, समेकित बाल विकास सेवायें– ब्लॉक स्तर।
- सामाजिक सुरक्षा अधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग– ब्लॉक स्तर।

उक्तानुसार तहसील एवं ब्लॉक स्तर तक बाल विवाह प्रतिषेघ अधिकारी नियुक्त है। जिनके अधीन कार्यरत कार्मिकों यथा पटवारी, आगनबाडी कार्यकर्ता, आशा सहयोगनी, पंच– सरपंच आदि के माध्यम से ग्राम स्तर तक की मॉनिटरिगं की जाकर ग्राम स्तर तर के क्षेत्रों में बाल विवाहों की रोकथाम की जा रही है। इसके अतिरिक्त शिक्षा विभाग, चिकित्सा विभाग, पंचायती राज विभाग, के ग्राम स्तर तक नियुक्त कार्मिकों के माध्यम से विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम / गतिविधियां आयोजित कर बाल विवाहों की रोकथाम की जा रही है।

अतः रिपोर्ट सादर प्रेषित है

भवदीय

उप अधीक्षक पुलिस

क्रमांक: F44(5)(3)/DCR/CHILD MARRIAGE/CORRESPONDENCE FILE/2022-00135/ 82651 दिनांक: 09/12/2024

प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक काग्रवाही हेतु प्रेषित है–

1. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, बाल अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. रक्षित पत्रावली।

Signature valid
Digitally signed by Manoj Kumar Arya
Designation : District Probation and Social Welfare Officer
Date: 2024.12.09 15:58:54 IST
Reason: Approved

उप अधीक्षक पुलिस

RajKaj Ref No.: 12309857

CamScanner